05|10|2020

अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बंदोबस्तदार के बंशज के द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कागजात इस कार्यालय में जमा किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

5-10-2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

15-10-2020

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा सिकटिया थाना सं0–312 के गैरमजरूआ खाता सं0–20 के अंदर दाग सं0–351 एवं 368 कुल खतियानी रकवा क्रमशः 01–06–16 धूर एवं 01–16–00 धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि उक्त खेसरा सं0 351 एवं 368 के अंदर अंश रकवा क्रमशः 00–11–00 धूर एवं 00–05–00 धूर कुल 00–16–00 धूर भूमि अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश सं0 163/73–74 से शिवलाल टुडू पिता रूपू टुडू के नाम से खाता सं0 20/3 में दर्ज है। जांच के क्रम में बंदोबस्तदार के बंशज द्वारा उक्त बंदोबस्ती से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया, जो इस पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार बंदोबस्तदार को केवल खेसरा सं0 368 के अंदर 00–05–00 धूर भूमि ही बंदोबस्त है और स्थलीय जांच में पाया कि बंदोबस्तदार के बंशज द्वारा उक्त खेसरा के अंदर 00–05–00 धूर भूमि ही जोत–कोड़ कर खेती किया जा रहा है। फोटो प्रति संलग्न। भूलवश पंजी 2 के खाता सं0 20/3 में खेसरा सं0 351 एवं 368 के अंदर 00–16–00 धूर भूमि दर्ज है। पंजी 2 में दर्ज खेसरा सं0 एवं रकवा को सुधारते हुए सरकार के पत्र के आलोक में संधारित खाता को नियमित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः पंजी 2 में खेसरा एवं रकवा सुधार कर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 तथा पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020–1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर नियमित किया जाता है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

15-10-2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।